

स० स० 14/एम 11-02/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बशी धर पाल पिता- स्व० रामकुमार पाल ग्राम+पो०- धनेज थाना- करगहर जिला- रोहतास सीआर न०- 2011733413	हृदय रोग डीभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अजू कुमारी पति- बसंत कुमार ग्राम+पो०- शिशो पश्चिमी थाना- मब्बी जिला- दरभंगा सीआर न०- 2022890953	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अनूप कुमार पिता- विनोद कुमार सिंह ग्राम- बसौना पो०- दलीपपुर थाना- धनगाई जिला- भोजपुर सीआर न०- 2020039877	हृदय रोग बीएमभी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	शब्बू रशीद पिता- सनाउल्लाह ग्राम- दरगाह मोहल्ला पो०- बेतिया थाना- नगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 2016029653	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	सदीप कुमार पिता— इन्द्र देव साह ग्राम— महिपत बिगहा पो0— मगराव थाना— कच्छवा जिला— रोहतास सीआर न0— 2012425631	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
6	नितेश कुमार पिता— देवनाथ साह ग्राम— पडौली टोला लछुआ पो0— सोहिलपट्टी थाना— लकडी नवीगज जिला— सिवान सीआर न0— 2026724101	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	राजू प्रसाद पिता— गौतम प्रसाद ग्राम— पुरानी बजाजी पो0— सिवान थाना— नगर जिला— सिवान सीआर न0— 2018936284	Urethral Stricture	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	जुबैर अहमद पिता— उमदे अली ग्राम— रामपाली पो0— चकरा थाना— सिवान मुफ्फसिल जिला— सिवान सीआर नं0— 2010670558	IBD - UC	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			8,95,000 -/	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,95,000/- (आठ लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000873 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2424(14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक

....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 19.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	आर्यन कुमार पिता- मदन राम ग्राम- डडवा पो0+थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7315505	हृदय रोग बीएमभी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	गणेश तिवारी पिता- धर्मराज तिवारी ग्राम- झलखोरिया पो0- अवरैया थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 8108793	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	शिवजी यादव पिता- सुदर्शन यादव ग्राम+पो0- ओदर थाना- सोनहन जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7933872	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राहुल कुमार पिता- कपिल पासवान ग्राम- घुरहा पो0- भागौसा मखदुमपुर थाना- वजीरगज जिला- गयाजी एमआरडी न0- 8493842	हृदय रोग डीभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	निभा सिंह पति- पप्पू कुमार सिंह ग्राम+पो- सतवॉर थाना- जी बी नगर जिला- सिवान एमआरडी न0- 7761235	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
6	शारदा देवी पति- सिपाही सिंह ग्राम- अकबरपुर वार्ड 07 पो- जलहरा थाना- राजपुर जिला- बक्सर एमआरडी न0- 8509045	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सिम्ली कुमारी पति- रविन्द्र कुमार ग्राम- रूपैठा पो+थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न0- 8372891	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	हिमाशु कुमार पिता- मुकेश कुमार ग्राम- सियाडीह वार्ड 11 पो- सियाडीह थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर एमआरडी न0- 8332462	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	गुडिया देवी पति- रामेकबाल साह ग्राम- बरेवा पो- चन्दनबारा थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 8370544	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	बेबी देवी पति- प्रमोद सिंह ग्राम- समहुता वार्ड 10 पो- बजारी थाना- रोहतास जिला- रोहतास एमआरडी न0- 8376857	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	प्यारे लाल पिता- जगनारायण प्रसाद ग्राम- उत्तर मोहल्ला वार्ड 17 पो+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7976117	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	नेहा कुमारी पिता- वैकटेश सिंह ग्राम- सुजायतपुर वार्ड 01 पो0- सुजायतपुर थाना- धनसोई जिला- बक्सर एमआरडी न0- 7202167	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	आशा देवी पति- शशि भूषण प्रसाद ग्राम+पो0- कैला थाना- सारे जिला- नालदा एमआरडी न0- 6488921	हृदय रोग एमवीआर	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 11,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,30,000/- (ग्यारह लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000873** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **27790100039150** खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

- 7 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2425(14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेपक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय — मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बलिराम कुमार पिता— रामलोचन महतो ग्राम— बेलही पो०— इनाई थाना— बहेडी जिला— दरभंगा केस फाईल न०—18एफ2026/000148	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मास्टर सुजित कुमार पिता— मनीष कुमार ग्राम— राजेन्द्र नगर पो०— आरा थाना— आरा नवादा जिला— भोजपुर केस फाईल न०—16एफ2026/001451	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मो० नसीम अहमद पिता— स्व० रसूल फारुकी ग्राम— बरकत नगर मोहनिया पो०+थाना— मोहनिया जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०—16एफ2025/001563	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रानी देवी पति— अखिलेश बिन्द ग्राम— चिलबिली पो०+थाना— कुदरा जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०—18एफ2025/018406	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	अमृता देवी पति- अमित आनंद ग्राम+पो0+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-16एफ2026 / 000223	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	मुन्ना ठाकुर पिता- देव नारायण ग्राम- सोनाडीह पो0- बभनी थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2025 / 005109	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	विरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- अमित सिंह ग्राम+पो0- परमा थाना- नारदीगंज जिला- नवादा केस फाईल न0- सीआर / 11944	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	मास्टर दयानन्द कुमार पिता- नितेश कुमार ग्राम- बाबूगज पो0+थाना- तिलौथु जिला- रोहतास केस फाईल न0-16एफ2026 / 001567	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	चन्दन कुमार पिता- अनुज कुमार ग्राम- बारत पो0- बैजनाथपुर थाना- सीतामढी जिला- नवादा केस फाईल न0-16एफ2026 / 001322	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	संजय प्रसाद अग्रवाल पिता- जगदीश अग्रवाल ग्राम+पो0+थाना- मोहनिया जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024 / 006074	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	विकास कुमार पिता- हरेद्र पटेल ग्राम- नौवाडीह पो0- मटियारी थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज केस फाईल नं0-16एफ2026 / 000058	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	यशराज कुमार पिता- रत्नेश कुमार सिंह ग्राम- ताजपुर पठखौलिया पो0+थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2026 / 001419	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	रजीत रजन पिता- स्व० जलेन्द्र साव ग्राम- दौलतपुर सिमरी पो०- दौलतपुर सिमरी थाना- बिहटा जिला- पटना केस फाईल न०-18एफ2025 / 019520	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	शौर्य सुमन पिता- सुबोध कुमार ग्राम- कारगिल चौक पो०- असरगज थाना- असरगज जिला- मुंगेर केस फाईल न०-16एफ2026 / 001272	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	मालती देवी पति- रामभरोसा ग्राम- बेलसूई पो०- कृष्णपाली थाना- दरौली जिला- सिवान केस फाईल न०-18एफ2025 / 009131	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	राजेश प्रसाद पिता- जगदीश प्रसाद ग्राम- हरी जी का हटा उमराव पो०+थाना- डुमराव जिला- बक्सर केस फाईल न०-18एफ2025 / 002185	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	राहुल कुमार पिता- सतोष साव ग्राम- छोटकी मसौड़ी पो०+थाना- मसौड़ी जिला- पटना केस फाईल न०-16एफ2026 / 001633	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	आरती देवी पति- शिवजी प्रसाद ग्राम- देल्हुआ वार्ड 02 पो०- बडकी खरारी थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल न०-18एफ2025 / 000304	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	सुमन कुमारी पिता- सतेन्द्र सिंह भोगता ग्राम- बाबुबाध पो०- उमगा थाना- मदनपुर जिला- औरंगाबाद केस फाईल न०-16एफ2026 / 001415	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

20	सुप्रिया कुमारी पिता- रविन्द्र साह ग्राम- भगवानपुर पो0- बरवा खुर्द थाना- कुझडवा चैनपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-19एफ2026 / 005874	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
21	गीता देवी पति- सजू साह ग्राम- नागदाहिया पो0- गुरवालिया थाना- मनुआपुल जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2026 / 001274	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	अजय कुमार ठाकुर पिता- प्रभुनाथ ठाकुर ग्राम- खजुरी तिवारी टोला वार्ड 13 पो0- खजुरी थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज केस फाईल नं0-18एफ2026 / 009694	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	वदना कुमारी पति- जीवनलाल कुमार ग्राम- बलुआ पो0- सिधाव थाना- लौकरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2025 / 004188	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	सुमन कुमार पिता- रामबाबू कुमार ग्राम- पीठवा वार्ड 04 पो0- जमुनिया थाना- झरौखर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2026 / 001447	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	लखपती देवी पिता- राम बचन तिवारी ग्राम- मिल्की पो0- सरवन थाना- नटवार जिला- रोहतास केस फाईल न0- केई / 51096	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	रुक्मणि देवी पति- सजय कुमार ग्राम- मिश्रा टोला महाजन टोली वार्ड 22 पो0- आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर केस फाईल न0-18एफ2023 / 014097	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

27	रजना कुमारी पति- मनोरजन कुमार ग्राम- तिसखोरा वार्ड 06 पो0- तिसखोरा थाना- नौबतपुर जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2023 / 005610	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	रामा देवी पति- शम्भू प्रसाद ग्राम+पो0- राघोपुर थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-19एफ2026 / 001213	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	अनीता देवी पति- अनिल प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- जमोहर जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-18एफ2026 / 011648	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
30	रिया कुमारी पिता- शिवनाथ राम ग्राम- बैजनाथपुर पो0- मिर्जापुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-19एफ2026 / 004743	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
31	अर्चना कुमारी पति- अमोद राय ग्राम+पो0- बजीतपुर थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 18एफ2025 / 021405	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	मास्टर अश कुमार पिता- स्व0 रमेन्द्र सिंह ग्राम- गम्हरिया पो0- पिरोटा थाना- एन0टी0पी0सी0 जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0- 16एफ2026 / 001311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	देव बश सिंह पिता- राम सुभग चौधरी ग्राम+पो0- बरकी खरारी थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2025 / 011068	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

34	शीला कुमारी पति- चदन कुमार ग्राम- पित्तसार वार्ड 11 पो0- सैसर थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2026/012029	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
35	रुनेहलता पति- नलिन कुमार मिश्रा ग्राम- जगदेवनगर वार्ड 42 पो0- अनाईठ थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर केस फाईल न0-18एफ2025/010752	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
36	खुशबु कुमारी पिता- सहदेव नोनिया ग्राम- सोहगरा घाट पो0- सोहगरा थाना- गुठनी जिला- सिवान केस फाईल न0-16एफ2026/001239	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
37	मास्टर सुमित राज पिता- सुजीत कुमार ग्राम- अमेठी वार्ड 12 पो0- अमेठी थाना- बजीरगज जिला- गयाजी केस फाईल न0-16एफ2026/001527	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
38	मीना देवी पति- राम अवतार गोसाई ग्राम- नरौरा वार्ड 13 पो0- मुजान थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2025/007031	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
39	कुसुम देवी पति- स्व0 राम प्रसाद मिस्त्री ग्राम- खरखुरा बैरागी बरची वार्ड 01 पो0- आर एस गया थाना- डेल्हा जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2026/002605	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
40	पूनम देवी पति- कमलेश कुमार ग्राम- लक्ष्मीपुर आदर ढाला पो0- सिवान थाना- नगर जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2025/014503	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			37,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 37,40,000/- (सैतीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000873 द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— **3675632747** खाता धारक का नाम— **होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी**, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— **रॉयल बैंक ऑफ इण्डिया**, शाखा का नाम— **Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं० **CBIN 0285166** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक **2426(14)**

पटना, दिनांक— **27/8/2026**

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० **000873** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक . . .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विनय कुमार पाल पिता- मथुरा पाल ग्राम- जमुआ पो0- मटपा थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0- 12एफ2026/005183	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	बिनोद कुमार लाल पिता- कृष्ण कुमार लाल ग्राम- दाउद बिगहा पो0- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना केस फाईल न0- 11एफ2024/015487	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	शिव शंकर सहाय पिता- शिव कुमार सहाय ग्राम- साउथ ऑफ गायत्री मंदिर मौलाबाग आरा पो0- आरा थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 11एफ2026/002199	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अशोक कुमार मिश्रा पिता- राम बाबू मिश्रा ग्राम- लोहानीपुर पो0+थाना- कदमकुआ जिला- पटना केस फाईल न0- 11एफ2024/008622	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	राजू कुमार पिता- महेद्र सिंह ग्राम- रान्हन पो0- महादेव सिमरिया थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई केस फाईल न0- सीएन/33878	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	राजबसी पासवान पिता- स्व0 नथुनी पासवान ग्राम- कौडिया वार्ड 13 पो0- कौडिया थाना- भगवानपुर जिला- सिवान केस फाईल न0- 11एफ2024/024963	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	पिकू देवी पति- पप्पू पाडेय ग्राम- लक्ष्मणपुर पो0- चमरपुर थाना- बहोरनपुर जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 11एफ2025/030642	कैंसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
			5,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान / अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000873** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **1002449683** खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2427(14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक

Max Smart Super Speciality Hospital
(A Unit of Gujarmal Modi Hospital &
Research Centre of Medical Sciences),
Press Enclave Road, Saket
New Delhi - 110017

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	शाश्वत गुप्ता पिता- सजीव कुमार ग्राम- रामदेव मंदिर अशोक नगर ककडबाग पो0- लोहियानगर थाना- कंकडबाग जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000873 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 006194600000143, खाता धारक का नाम- Max Smart Super Speciality Hospital, खाते का प्रकार- Saving Account, बैंक का नाम- Yes Bank Limited, शाखा का नाम- E-31, Saket, New Delhi - 110017, RTGS/IFSC कोड स० YESB0000061 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2441 (14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/.एम 11-01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

मेदान्ता द मेडिसिटी,

रोक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,

पिन-122001

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	रजनीश सिंह पिता- रघुवश सिंह ग्राम- गोविन्द चक वार्ड 12 पो0- गोविन्द चक थाना- सोनपुर जिला- सारण	कैसर/ट्यूमर सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000873 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-106905001433, खाता धारक का नाम- ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल- दिल्ली/गुड़गांव, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-ICICI Bank, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड स0 ICIC0001148 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।



प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

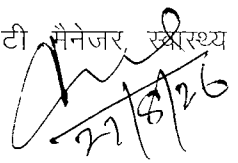
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2442(14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


27/8/26

निदेशक प्रमुख



स0 स0 14/.एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Medanta Hospital,
Sector-A, Pocket 1,
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,
Lucknow - 226030

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	मुन्ना कुमार पिता- सुनेश भगत ग्राम- छोटका साखे पो0- जगरनाथ थाना- उचकागाव जिला- गोपालगज	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अनीता कुमारी पिता- जलेश्वर यादव ग्राम- अयोध्यापुरी श्रीनगर सिवान लेन न0- 2 हाउस न0- डी5 पो0- सिवान थाना- सिवान मुफ्फसिल जिला- सिवान	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			2,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000873... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 41120248418, खाता धारक का नाम- Global Health Limited, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड स0- SBIN0004298 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

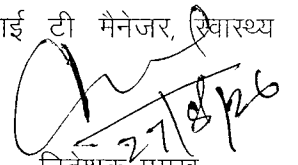
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2443(14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीलम देवी पति- सजय कुमार गुप्ता ग्राम+पो०+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	उषा देवी पति- स्व० बिजेन्द्र प्रसाद ग्राम- वंशराज बिगहा पो०- टेहटा थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	उमाकांत सिंह पिता- केदारनाथ सिंह ग्राम- भभुआ गवई मुहल्ला वार्ड 19 पो०+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000873 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-36180579026, खाता धारक का नाम- APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड स०-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।



3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2444(14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल,
चौदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म),
बनारस बीड्स के पास,
वाराणसी-221106

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 19.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	आरती देवी पति— कन्हैया सिंह ग्राम— सडकपर पो0— औरगाबाद थाना— देव जिला— औरगाबाद	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000873द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 60515973070, खाता धारक का नाम— GANGA SEWA SADAN HOSPITAL, खाते का प्रकार— CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम— BANK OF MAHARASHTRA, शाखा का नाम— VARANASI, RIGS/IFSC कोड सं0— MAHB0001290 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज

- द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2445 (14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Indra Hospital
Super Multi Speciality Hospital Pvt. Ltd.,
Akhari Bypass, N.H.-2 Road,
Varanasi 221011

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **19.08.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	एकम मिस्त्री (Ekram Mistri) पिता— ताहिर मिया ग्राम— बिल कोठिदेहरि पो०— देहरी थाना— डेहरी जिला— रोहतास	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 1,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **000873** ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 701720110000018, खाता धारक का नाम— **INDRA HOSPITAL**, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— **BANK OF INDIA**, शाखा का नाम— **AKHARI, VARANASI**, RTGS/IFSC कोड सं०— **BKID0007017** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से**

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2446 (14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/26
निदेशक प्रमुख

स0सं0 14 /एम 11-01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज

आई०डी०ए०, स्कुडर रोड

पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीष कुमार पिता- विक्रम कुमार मंडल ग्राम- दुर्गास्थान पो०+थाना- डण्डखोरा जिला- कटिहार सीएमसी न०- एपी 33694	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	रजीत कुमार दास पिता- बोगालाल दास ग्राम- मिर्जादपुर पो०- फतेहपुर थाना- बारसोई जिला- कटिहार सीएमसी न०- एजे 24167	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कल्पना कुमारी पति- वरुण कुमार सिंह ग्राम- तारडीह पो०- बैदाचक थाना- अमरपुर जिला- बाका सीएमसी न०- 088853 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	बिनय कुमार सिंह पिता- परमानन्द सिंह ग्राम- अजता कॉलोनी पो०- केशरी नगर थाना- पाटलिपुत्र जिला- पटना सीएमसी न०- 770258 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	निरा देवी पति- बिहारी यादव ग्राम- हरदिया टोला मदैला पो0- वालीदाद थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल सीएमसी न0- एक्कू 11260	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	शकुन्तला देवी पति- भागवत सिंह ग्राम- परियारी डीह पो0- परियारी थाना- किजर जिला- अरवल सीएमसी न0- एपी 99910	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			7,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,75,000/- (सात लाख पचहत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 000873 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक भाग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2447 (14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अमृता इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर,
माता अमृतानदामाई मार्ग,
सेक्टर 88 फरीदाबाद,
हरियाणा-121002

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.08.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दया शंकर सिंह पिता— स्व० बाबू नन्द सिंह ग्राम— धोबहा पो०— धोबहा बाजार थाना— धोबहॉ जिला— भोजपुर	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000873 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-019600100024481, खाता धारक का नाम— AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH CENTRE. खाते का प्रकार— बैंक का नाम— DHANLAXMI BANK, शाखा का नाम— CROWN COMPLEX, NIT FARIDABAD, HARYANA, 121001, 196-FARIDABAD HARYANA, RTGS/IFSC कोड सं० DLXB0000196 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

- कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2448(14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 010873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई० सी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Fortis Hospitals (International Hospital Limited),
Neelam Bata Road, N.I.T,
Faridabad - 121001 (HR).

पटना, दिनांक . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 19.08.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जीतेन्द्र यादव पिता— स्व० विशेश्वर यादव ग्राम— कल्याणपुर पो०— तुगी थाना— दीपनगर जिला— नालदा	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000873 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 054113642004, खाता धारक का नाम— International HS LT-Faridabad, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— HSBC Bank Ltd, शाखा का नाम— HSBC JMD REGENT SQUARE, DLF PHASE II, GURGAON- MEHRAULI ROAD, GURGAON 122022, RTGS/IFSC कोड सं०— HSBC0110005 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2449(14)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख